रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2018/चैत्र 26, 1940
No. 243] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2018/CHAITRA 26, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.आ. 371(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप कतिपय नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल:js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (...........संशोधन) नियम, 2018 है।
   (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में,

(i) उसके खंड (i) का खंड (iक) के रुप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित खंड (iक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(i) "वर्ग L" से चार पहिया से कम वाले तथा चौपहिया (क्वाड्रीसाइकिल) मोटरयान अभिप्रेत हैं।'।

(ii) उसके खंड (ञ) को खंड (i ख) के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्याकित खंड (i ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" (i ग) "L5 " से तीन पहिए वाले मोटर वाहन अभिप्रेत है जिनमें 25 किमी/घंटे से अधिक अधिकतम गति और थर्मिक इंजन लगे होने पर 25 सीसी से अधिक इंजन क्षमता, या इलैक्ट्रिक मोटर लगे होने पर 0.25 किलोवॉट से अधिक इंजन शक्ति हो। यह वाहन समान्यत: निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है,
क) लोगों को लाने-ले जाने; या
ख) माल ढोने।
अर्धट्रेलर जुड़ा हो सकता है, और जिनमें;

क) हैंडल हत्था या स्टीयरिंग पहिया लगाया जा सकता है;

ख) सकल वाहन भार 1500 किग्रा तक सीमित होगा, (घ) में दी गई शर्तों के अध्यधीन;

ग) यदि तीन पहिया ट्रैक्टर में अर्ध-ट्रेलर लगाए जाते हैं तो (घ) में दी गई शर्तों के अध्यधीन सकल संयोजक भार 2500 किग्रा तक सीमित रखा जाएगा; और

घ) बैटरी द्वारा चालित तीन पहिया के मामले में संकर्षण बैटरियों का भार जीवीडब्ल्यू/जीसीडब्ल्यू के परिसीमन के लिए और वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

(i ग क) "श्रेणी L5-M" तीन पहिये का यात्री वाहक यात्रियों को लाने-ले जाने के प्रयोजन हेतु अपनी तकनीकी विशिष्टियों की वजह से (ऑटो रिक्शा) अभिप्रेत है।

(i ग ख) "श्रेणी L5-N" से अभिप्रेत है- माल ढोने के प्रयोजन हेतु अपनी तकनीकी विशिष्टियों की वजह से तीन पहिया वाहन। कोई तीन पहिया वाहन इस पर निर्भर करते हुए कि चालक सहित व्यक्तियों का भार, जिनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है, ढोए जाने वाले माल के भार से अधिक या कम है, "L5-M-यात्री वाहक (ऑटो रिक्शा)' या L5-N-माल वाहक' की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यदि निम्लिखित शर्तों की संतुष्टि है तो एक तीन पहिया L5-N (माल वाहक) की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा L5-N (यात्री वाहक ऑटो रिक्शा) के अंतर्गत नहीं आता है:
क) माल ढोने के लिए पृथक भार लादने का हिस्सा (लोड बॉडी) या कम्पार्टमेंट की व्यवस्था की गई हो।

ख) चालक को छोड़कर बैठने के स्थानों की संख्या तीन से अधिक न हो।
ग) उस वाहन द्वारा ढोए जा रहे माल का भार निम्नलिखित सूत्र द्वारा की गई गणना के अनुसार, सवार व्यक्तियों के भार से अधिक हो:
पी- (ए+ बी X68)> बी X68

जहां पर

पी = तकनीकी रूप से स्वीकार्य अधिकतम लदान वजन (जीवीडब्ल्यू) (किग्रा)

ए = कर्ब भार स्थिति में वाहन भार (आईएस 9211: 2003 में यथापरिभाषित) + 68 (किलोग्राम)। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में, संकर्षण बैटरियों के भार को कर्ब भार से घटाया जाएगा।

बी = ड्राइवर को छोड़कर बैठने के स्थानों की संख्या
(ञ) श्रेणी L7 से अभिप्रेत है इस नियम के खंड य में परिभाषित चौपहिया (क्वाड्रीसाइकिल) वाहन

(ञ क) श्रेणी L7-M से अभिप्रेत है यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला श्रेणी L7 का चौपहिया (क्वाड्रीसाइकिल) जो (चालक सहित) 4 से अनधिक सीटों वाला और जिसका कर्ब भार 450 किग्रा से अधिक नहीं है।

(ञ ख) श्रेणी L7-N से अभिप्रेत है यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला श्रेणी L7 का चौपहिया (क्वाड्रीसाइकिल) जो (चालक सहित) 2 से अनधिक सीटों वाला और जिसका कर्ब भार 550 किग्रा से अधिक नहीं है।

(iii) नोट में खंड (झ) में -

(क) शब्द, अक्षर और अंक "एआईएस 053:2005 का अनुलग्नक।,", के लिए शब्द, अक्षर और अंक "आईएस 14272:2011 का अनुलगनक क," प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्द, अक्षर और अंक "जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं" का लोप किया जाएगा;

(ग) इसमें सही किए गए उपर्युक्त शब्दों और अंकों के लिए: "एआईएस: 053:2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा" जोड़ा जायेगा।

(iv) खंड (ण) में -

(क) अक्षर और अंक "एआईएस 053:2005,", के लिए अक्षर और अंक "आईएस 14272:2011," प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शब्द, अक्षर और अंक "जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं" का लोप किया जाएगा ;

(ग) इसमें सही किए गए उपर्युक्त शब्दों और अंकों के लिए: "एआईएस: 053: 2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा" जोड़ा जायेगा।

(v) नोट में खंड (द) में -

(क) अक्षर और अंक "एआईएस 053:2005,", के लिए अक्षर और अंक "आईएस 14272:2011," प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शब्द, अक्षर और अंक "जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं" का लोप किया जाएगा ;

(ग) इसमें सही किए गए उपर्युक्त शब्दों और अंकों के लिए: "एआईएस: 053: 2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा" जोड़ा जायेगा।

3. मूल नियमों में, नियम 104 में, -

(i) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(4) इस नियम में और नियम 110 में निर्दिष्ट रिफलेक्टर्स नए माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित मोटर यानों के लिए और 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विद्यमान मॉडलों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-057 (संशोधित 1): 2010 के अनुरुप रिफलैक्स टाइप होंगे, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।"

(iii) उप नियम (5) का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम में, नियम 104ख में, उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

> "(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिफलेक्टर्स 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित और नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-057 (संशोधित 1): 2010 के अनुरुप रिफलैक्स टाइप होंगे जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं,।";

5. मूल नियम में, नियम 104ग में, उपनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

> "(1) 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् नए माडलों की दशा में और 1 अप्रैल, 2019 और उसके पश्चात् विद्यमान माडलों की दशा में प्रत्येक विनिर्मित पावर टिलर में, पावर टिलर के सामने 7 वर्ग सें.मी. रिफलैक्टिंग क्षेत्र से अन्यून दो सफेद रिफलेक्स रिफलैक्टर्ट फिट किए जाएंगे और जो प्रत्येक ओर एक होगा और रात को सामने से आने वाले यानों को दिखाई देगा, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 057 (संशोधित-1):2010 के अनुरुप होंगे, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।"

6. मूल नियमों में, नियम 110 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और भी कि 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 1400 एमएम से अनधिक समग्र चौड़ाई सहित तीन पहियों के नए माडलों की दशा में और 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 1400 एमएम से अनधिक समग्र चौड़ाई सहित तिपहियों के विद्यमान माडलों की दशा में उपरोक्त परंतुक लागू नहीं होगा।"

7. मूल नियमों में, नियम 124क में, -

(i) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों पर उपयोग में लाए गए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस के बल्ब एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1) : 2010 के अनुरुप होंगे :

परंतु एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के एस 1 और सी 21 वर्ग 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों पर ऊपर विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस में उपयोग में नहीं लाए जाएंगे :

परंतु यह और कि एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1) : 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के आर 2 वर्ग 1 अप्रैल, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए हैड लैंप में उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।";

(ii) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 030 (संशोधित 1) : 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।";

उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5क) 1अक्तूबर, 2019 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टर में यांत्रिक कपलिंग एआईएस – 091 (भाग 2): 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।";

(iii) उपनियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(14) 1 अक्तूबर, 2019 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टरों की फ्रंट कपलिंग डिवाइस एआईएस –109 : 2012 के अनुसार होगी जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।"

8. मूल नियमों में, नियम 124ख में, -

(i) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"नए माडलों की दशा में, 1 अक्तूबर, 2018 को और इसके पश्चात् तथा विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर पर निम्नलिखित लाइटिंग और लाइट सिगनलिंग डिवाइस पर उपयोग में लाए गए बल्ब, अर्थात्:-

(क) हेड लाइट मेन और डिप;

(ख) पार्किंग लाइट;

(ग) डाइरेक्शन इंडीकेटर लैम्प;

(घ) टेल लैम्प;

(ड.) रिवर्सिंग लैम्प;

(च) स्टॉप लैम्प;

(छ) रीयर रजिस्ट्रेशन मार्क इलुमिनेटिंग लैम्प,

समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1): 2010 के अनुसार होंगे जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं;

परंतु समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1): 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों का एस 1 और सी 21 वर्ग इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट तारीखों को और उसके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर पर उपरोक्त विनिर्दिष्ट लाइटिंग और लाइट-सिगनलिंग डिवाइस में उपयोग हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 034 (भाग 1) (संशोधित 1): 2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों का आर 2 वर्ग इस उपनियम में विनिर्दिष्ट तारीखों को और उसके पश्चात् विनिर्मित पावर टिलर के लिए हैंड लैंप में उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा" ।

9. मूल नियमों में, नियम 125 में, उपनियम (2) में, -

(i) पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि:–

(क) नए माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एल 5 वर्ग (तिपहिया यान) बिना बॉडीवर्क के लिए और एल 1 और एल 2 वर्ग (दोपहिया यान), रीयर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमश: एआईएस – 001 (भाग 2) (संशोधित 1): और एआईएस – 002 (भाग 2) (संशोधित 1) 2010 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे;

(ख) नए माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एल 5 वर्ग (तिपहिया यान) बॉडीवर्क के लिए रीयर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमश: एआईएस – 001 (भाग 1) (संशोधित 1): 2011 और एआईएस – 002 (भाग 2) (संशोधित 1) 2011 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे";

(ग) नए माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् और विद्यमान माडलों की दशा में 1 अक्तूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन वर्ग यान के लिए रियर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं क्रमश: एआईएस – 001 (भाग 1) (संशोधित 1): 2011 और एआईएस – 002 (भाग 1) (संशोधित 1) 2011 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे";

(ii) तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे:-

"परंतु यह भी कि 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात्, कृषि ट्रैक्टरों के लिए रीयर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापन अपेक्षाएं जब तक समय-समय पर यथा संशोधित क्रमश: एआईएस – 001 (भाग 1) (संशोधित 1): 2011 और एआईएस: 114–2009 की पुष्टि करेंगे तब तक सदृश बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं।"

10. मूल नियमों में, नियम 126 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे,-

"परंतु यह भी कि इन नियमों के अनुपालन के लिए कृषि ट्रैक्टरों के टाइप अनुमोदन और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 017 (भाग 2) (संशोधित 1) 2016 के अनुसार होगी।"

11. मूल नियमों में, नियम 96 में, उप-नियम (4), खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iक) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 14664:2010 के अनुसार 1 अक्तूबर, 2018 को और उसके पश्चात् विनिर्मित दोपहिया यान और तिपहिया यान के नए माडलों के लिए और 1 अक्तूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित दोपहिया यान और तिपहिया यान के मौजूदा नए माडलों के लिए।"

[फा. सं. आरटी-11028/11/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. (अ), तारीख के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2018

G.S.R. 371(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27 and 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email : js-tpt@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, with in a period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (________ Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette**.**

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 2,

(i) the clause (i) shall be numbered as clause (ia) thereof and before clause (ia) as so numbered, the following clause shall be inserted, namely: -

'(i) "Category L" means motor vehicles with less than four wheels and quadricycle'

(ii) the clause (j) shall be numbered as clause (ib) thereof and after clause (ib) as so numbered, the following clauses shall be inserted, namely: -

"(ic) "Category L5" means a three wheeled motor vehicle with maximum speed exceeding 25 km/ph and engine capacity exceeding 25 cc, if fitted with a thermic engine, or motor power exceeding 0.25 kW, if fitted with electric motor. This vehicle is normally used for,

a) carrying persons; or

b) carrying goods.

Semi-trailer may be attached, and where;

a) handle bar or steering wheel may be fitted;

b) gross vehicle weight will be limited to 1 500 kg, subject to the conditions given in (d);

c) in the case of semi-trailers being attached to a three wheeled tractor, the gross combination weight will be limited to 2 500 kg subject to the conditions given in (d); and

d) weight of traction batteries in the case of battery operated three wheelers, shall not be taken into account for the limitation the GVW/ GCW and for the purpose of classification.

(ica) "Category L5-M" means a passenger carrier (Auto-Rickshaw) a three wheeler on account of its technical features intended to carry passengers

(icb) "Category L5-N" means a three wheeler on account of its technical features intended to carry goods.

A three wheeler may fall under the category of 'L5-M- Passenger carrier (Autorickshaw)' or 'L5-N- Goods Carriage' depending on whether the weight of persons including driver for whom seating arrangements are provided is more than or less than the weight of goods carried.

If the following conditions are satisfied, a three wheeler comes under the category of L5-N (Goods Carrier) and not L5-M (Passenger Carrier Autorickshaw):

a) A separate load body or compartment is provided for carrying the goods.

b) The number of seating positions excluding the driver is not more than three.

c) The weight of goods carried by the vehicle is more than weight of persons carried, as calculated by following formula:

$P- (A+ B X 68) > B X 68$

Where

P = Technically permissible maximum laden weight (GVW) (kg)

A= Vehicle weight in the kerb weight condition (as defined in IS 9211:2003)+ 68 (kg). In the case of electric vehicles, the weight of traction batteries is to be subtracted from the kerb weight.

B= Number of seating positions excluding the driver.

(j) "Category L7 " means a quadricycle vehicle defined in clause z of this rule

(ja) "Category L7-M" means a quadricycle of category L7 used for carrying passengers having seats not more than 4 (including driver) and curb weight not exceeding 450 Kg

(jb) "Category L7-N" means a quadricycle of category L7 used for carrying goods having seats not more than 2 (including driver) and curb weight not exceeding 550 Kg "

(iii) in clause (l), in the Note-

(a) for the words, letters and figures "Annexure I of AIS 053:2005," the words, letters and figures "Annex A of IS 14272: 2011," shall be substituted;

(b) the words, letters, brackets and figures "till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)" shall be omitted;

(c) there of at the end of so corrected as above words and figure "Certificates issued prior to the date of implementation of IS:14272:2011 in place of AIS:053:2005 shall continue to be valid "shall be added.

(iv) in the clause (o)-

(a) for the letters and figures "AIS 053:2005,", the letters and figures "IS 14272: 2011," shall be substituted;

(b) the words, letters and figures "till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)" shall be omitted.

(c) there of at the end of so corrected as above, words and figure "Certificates issued prior to the date of implementation of IS:14272:2011 in place of AIS:053:2005 shall continue to be valid "shall be added**.**

(v) in clause (r), in the Note,-

(a) for the letters and figures "AIS 053:2005,", the letters and figures "IS 14272: 2011," shall be substituted;

(b) the words, letters and figures "till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)" shall be omitted.

(c) there of at the end of the so corrected as above words and figure "Certificates issued prior to the date of implementation of IS:14272:2011 in place of AIS:053:2005 shall continue to be valid "shall be added.

3. In the principal rules, in rule 104,-

(i) sub-rule (2) shall be omitted;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The reflectors referred to in this rule and in rule 110 fitted with motor vehicles, manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of April, 2019 in the case of existing models, be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev. 1) : 2010 as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).";

(iii) sub-rule (5) shall be omitted.

4. In the principal rules, in rule 104B, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The reflectors referred to in sub-rule (1) fitted with agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in case of new models and on and after the 1st day of April 2019, be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

5. In the principal rules, in rule 104C, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every power tiller manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of April, 2019 in case of existing models, shall be fitted with two white reflex reflectors of not less than 7 square centimeter reflecting area in front of the power tiller, and one on each side and visible to oncoming vehicles from the front at night, conforming to AIS-057 (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

6. In the principal rules, in rule 110, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the above proviso shall cease to be applicable in the case of new models of three wheelers with overall width not exceeding 1400 mm manufactured on and after the 1st day of October, 2018 and in the case of existing models of three wheelers with overall width not exceeding 1400 mm manufactured on and after the 1st day of April, 2019."

7. In the principal rules, in rule 124A,-

(i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely,-

"(1a) The bulbs of the lighting and light-signaling devices specified in sub-rule (1) used on agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2018**,** shall conform to AIS-034 (Part 1) (Rev.1) : 2010, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided that the S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1): 2010 shall not be used in lighting and light-signaling devices specified above on agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2018:

Provided further that the R2 category of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev 1): 2010 shall not be permitted for use in headlamps for agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2018.";

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2a) The lighting and light-signaling devices for agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October 2018, shall be in accordance with AIS-030 (Rev.1) : 2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986).";

(iii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5a) On and after the 1st day of October 2019, the mechanical couplings in agricultural tractor shall be in accordance with AIS-091(Part 2): 2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).";

(iv) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(14) On and after the 1st day of October 2019, the front coupling device where ever provided on agricultural tractor shall be in accordance with AIS-109:2012, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

8. In the principal rules, in rule 124B,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"For the power tillers manufactured on and after the 1st Day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of April , 2019 in the case of existing models, the bulbs used on the following lighting and light signaling devices on power tillers, namely: -

(a) the head light main and dip;

(b) the parking light;

(c) the direction indicator lamp;

(d) the tail lamp;

(e) the reversing lamp;

(f) the stop lamp;

(g) the rear registration mark illuminating lamp,

Shall be in accordance with AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010 as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act,1986 (63 of 1986):

Provided that the S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010, as amended from time to time, shall not be permitted for use in lighting and light-signaling devices specified above on power tillers manufactured on and after the dates specified in this sub-rule:

Provided further that R2 category of bulbs specifies in AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010, as amended from time to time, shall not be permitted for use in head lamps for power tillers manufactured on and after the dates specified in this sub-rule".

9. In the principal rules, in rule 125, in sub-rule (2),-

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that-

(a) for L5 category (three wheeled vehicles) without body work and L1 and L2 categories (two wheeled vehicles) manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of October, 2019 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 2) (Rev.1):2011 and AIS-002 (Part 2)(Rev.1):2011 respectively, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of October, 2019 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011 respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(c) for M and N category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2018 in the case of new models and on and after the 1st day of October, 2019 in case of existing models, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1) : 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011, respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):"

(ii) After third proviso following proviso shall be added-

"Provided further that on and after the 1st October, 2018, for agricultural tractors, the rear view mirror specifications and installation requirements shall conform to AIS-001 (Part 1) (Rev.1) : 2011 and AIS:114-2009 respectively as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016)."

10. In the principal rules, in rule 126, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors for compliance to these rules shall be in accordance with AIS-017 (Part 2) (Rev.2): 2016, as amended from time to time.".

11. In the principle rules, in rule 96, sub-rule (4), after clause (i) the following clause shall be inserted, namely-

" (ia) for new models of two wheelers and three wheelers manufactured on and after the 1st October 2018 and for existing models of two wheelers and three wheelers manufactured on and after 1st October 2019 as per IS:14664:2010, as amended from time to time"

[F. No. RT-11028/11/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide notification number* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide notification number* G.S.R. _____(E) dated ______**.**

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.20 19:51:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.